



कार्यालय मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0552-2288656

फैक्स : 0522-2288655

संख्या-21-अनु०-प्रथम/अ०अभि०(जा०)/विनियमितकरण/2018

दिनांक : जनवरी 03, 2018

कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित अवर अभियन्ता(जानपद)(प्रशिक्षु) द्वारा एक वर्ष का आधारभूत क्रियात्मक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त उनकी विशेष कार्य कौशल आख्या संतोषजनक प्राप्त होने पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से उनका नियमितकरण अवर अभियन्ता(जानपद)(सामान्य क्षेत्री) के पद पर वेतन बैंड-2 में वेतनमान रु 9000-34800 सादृश्य ग्रेप पे रु 4200/- (प्रारम्भिक वेतन रु 9860/-) में किया जाता है तथा उन्हें समय-समय पर अनुमन्य वेतन भत्ते इनके पदभार ग्रहण तिथि से देय होंगे। इनकी प्रशिक्षण अवधि इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु आगणित की जायेगी।

उपरोक्त नियमितकरण निम्न प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम सर्वश्री	पिता का नाम	नियुक्ति का कार्यालय ज्ञाप सं० एवं दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने तिथि	विनियमितकरण तिथि	वर्तमान तैनाती इकाई
1	2	3	4	5	6	7
1.	सुशील कुमार	बलवीर सिंह	626-अ-2, दि० 24.02.2014	11.03.2014	10.03.2015	वि०जा०वि०खं०, कानपुर।
2.	विपुल कुमार दीक्षित	राज कुमार दीक्षित	1900-अ-2, दि० 04.08.2014	02.09.2014	01.09.2015	वि०जा०पारे०खं०, गाजियाबाद।
3.	कृष्णा	प्रभू नारायण	626-अ-2, दि० 24.02.2014	12.06.2015	11.06.2016	वि०जा०पारे०खं०, वाराणसी।
4.	प्रमोद पाल	राम मिलन पाल	1900-अ-2, दि० 04.08.2014	20.08.2014	19.08.2015	वि०जा०पारे०खं०, कानपुर।
5.	पंकज सोनी	जगदीश प्रसाद	802-अ-2, दि० 30.12.2016	09.06.2016	08.06.2017	वि०जा०पारे०खं०, अलीगढ़।
6.	कु० दीपिका राघव	नरेन्द्र सिंह राघव	160-अ-2, दि० 03.02.2016	26.03.2016	25.03.2017	वि०जा०वि०खं०, गाजियाबाद।
7.	दिनेश	प्रताप राम	160-अ-2, दि० 03.02.2016	16.03.2016	15.03.2017	वि०जा०वि०खं०, मुरादाबाद।

1. अवर अभियन्ता(जानपद)/(सा०श्रे०) संवर्ग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।
2. अभ्यर्थी की सेवाये पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद अवर अभियन्ता सेवा विनियमावली एवं इस संवर्ग में समय-समय में विनियमावली में हुए संशोधन के द्वारा भी नियंत्रित रहेंगी।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णरूप से अस्थाई है तथा किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
4. अभ्यर्थी का चरित्र एवं आचरण गृह जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस द्वारा सत्यापित कराये जाने पर प्रतिकूल आख्या प्राप्त होने की दशा में तत्काल सेवा से निष्कासित किया जायेगा।
5. अभ्यर्थी की सेवायें उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं अन्य के अर्न्तगत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश या प्रदेश से बाहर स्थानान्तरणीय है।
6. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र, घोषणा-पत्र अथवा अन्य अभिलेखों को यदि भविष्य में किसी भी समय जाँच करने पर गलत पाया गया कि उसने स्वार्थ वश कुछ तथ्य जानबूझकर छिपाये हैं तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

संख्या-21-अनु0-प्रथम/अ0अभि0(जा0)/विनियमितिकरण/2018/तद्दिनांक जनवरी 03,2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक,पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, कानपुर, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ मेरठ/आगरा/कानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता(जानपद) पारेषण-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
5. संबंधित अधिक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
- ✓ 6. अधिशाली अभियन्ता(यूनिफाइड), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट पर लोड करने हेतु प्रेषित।
7. कट फाइल

✓
विरेन्द्र कुमार निगम
वैयक्तिक सहायक (पंचम)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)